उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ – 226001

दूरभाषःपी.बी.एक्स. 2622363, 2627111

फैक्सः0522-2615526, 2628841, 26235786

पत्रांक-९८/प्र0प्र0(एमआईएस)/कैम्प/2021-08 [illegible] दिनांक :14 अप्रैल, 2021

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक (नाम से)
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम।

कोविड संक्रमण अभियान

विषयः <u>कोविड संक्रमण के दृष्टिगत प्रवासीजनों एवं श्रमिकों के संचरण हेतु निर्देश।</u>

वर्तमान में कोविड–19 में संक्रमण में हुई भारी वृद्धि, व इसकी प्रबलता के दृष्टिगत बचाव के सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों में उठाये गये सुरक्षात्मक कदमों को देखते हुए श्रमिकों एवं प्रवासियों के सुरक्षित संचरण हेतु विगत वर्ष की भांति पुनः आवश्यकता उत्पन्न होने की सम्भावना के सम्बन्ध में आज अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा की गयी बैठक के दृष्टिगत समस्त क्षेत्रों द्वारा निम्न अग्रिम तैयारी करना अपेक्षित हैः–

1. प्रत्येक क्षेत्र अपने बस बेड़े में उपलब्ध शत प्रतिशत बसों को संचालन योग्य रखेगें जिससे किसी आपातकालीन स्थिति में अनावश्यक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित रहें। यह भी सनिश्चित रखना होगा कि उक्त आवश्यकता के दृष्टिगत उ0प्र0 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आधार पर विभिन्न मांग अनुरूप प्रदान की गई बसों तथा सामान्य जन संचरण हेतु प्रयुक्त बसों पर प्रभाव न्यूनतम हो।
2. महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य सहित अन्य निकटवर्ती राज्यों से श्रमिकों एवं प्रवासियों का कमागत आगमन संभावित है। इस सम्बन्ध में आपके क्षेत्र अधीन रेलवे स्टेशनों पर आने वाली ट्रेन की पूर्ण सूचना तत्काल प्राप्त करके, इसके आधार पर प्रवासियों के आगमन की संख्या का आंकलन कर लिया जाये। तद्नुसार क्षेत्रीय व सेवा प्रबन्धक बसों को उत्तम तकनीकी व भौतिक दशा अनुसार सुलभ रखेगें। सम्बन्धित सूचना दिनांक 15.04.2021 की अपरान्हः 15:00 बजे तक प्र0प्र0(एमआईएस) को उपलब्ध करायेगें।
3. तत्कालिक व्यवस्था के अन्तर्गत झांसी/ललितपुर, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर/बस्ती, वाराणसी/जौनपुर, गाजियाबाद /नोएडा व आगरा/मथुरा हेतु रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों को वहीं से बस सुविधा देने के लिए 100–100 बसों की आकस्मिक व्यवस्था क्षेत्रीय प्रबन्धक अविलम्ब कर लें। इस सम्बन्ध में क्षेत्रीय प्रबन्धक स्थानीय रेलवे अधिकारियों को अवगत करा दें व इस व्यवस्था का स्वंय अनुश्रवण करें।
4. क्षेत्रों को इन बसों के संचालन हेतु आवश्यक क्रू एवं अन्य स्टाफ की भी पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। किसी भी अधिकारी/उपाधिकारी/चालक/परिचालक सहित सभी संवर्ग के कार्मिकों का अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर अवकाश बाधित रहेगा।
5. प्रत्येक क्षेत्र द्वारा प्रत्येक संचालित बस तथा समस्त यात्रियों एवं कार्मिकों की संक्रमण से सुरक्षा हेतु निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगीः–
   - I. बसों/बस स्टेशनों/कार्यालयों का नियमित सेनेटाइजेशन।
   - II. बस व बस स्टेशन परिसर में यात्रियों को मास्क पहनने की अनिवार्यता।
   - III. क्षेत्रीय हेल्प डेस्क को 24X7 आधार पर संचालित किया जाये। कर्मचारी डियूटी का रोस्टर प्र0प्र0 एमआईएस को प्रेषित किया जाये।
   - IV. निगम का एक मो0 नम्बर आवंटित कर प्रत्येक समय रेलवे स्टेशन पर 24X7 आधार पर, योग्य कार्मिकों की डियूटी लगाऐगे जो ट्रेनों के आगमन का विवरण प्राप्त कर, क्षेत्रीय हेल्प डेस्क व निगम मुख्यालय कन्ट्रोल रूम से सामंजस्य बनाएगें।

V. बसों में यात्रियों को सीटिंग क्षमता की सीमा तक ही बैठाया जायेगा।

VI. क्षेत्र के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धकों को भी प्रत्येक दिवस 8–8 घंटे की नोडल–ड्यूटी आवंटन करना, जिससे प्रत्येक क्षेत्र के डिपोवार संचालन विवरण को अधिकारिक स्तर से मुख्यालय कंट्रोल रूम पर फीड बैक प्राप्त हो।

शासन के निर्देश पर उपरोक्तवत् की जा रही कार्यवाही व निगम द्वारा उपलब्ध करायी जा रही व्यवस्थाओं से क्षे0प्र0 दिनांक 15.04.2021 को स्वंय अपने मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी को अवगत करा दें।

उपरोक्त आदेशों का अनुपालन प्रभावी ढंग से समयबद्वता के साथ सुनिश्चित किया जाये।

(धीरज साहू)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि–समसंख्यक एवं समदिनांकित।

1. अपर मुख्य सचिव–गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
5–अपर प्रबन्ध निदेशक निगम मुख्यालय लखनऊ।
6–वित्त नियंत्रक निगम मुख्यालय लखनऊ।
7–मु0प्र0प्र0 (प्रशा0 / संचा0 / तक0) निगम मुख्यालय लखनऊ।
8–समस्त प्रधान प्रबन्धक (संचा0 / तक0) निगम मुख्यालय।

(धीरज साहू)
प्रबन्ध निदेशक